BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXV | 10th December 2014 | No. 18

'BanKs lukewarm about growth in state'

Bihar Chamber of Commerce and Industries President P. K. Agrawal feels the state government should formulate a compre-hensive policy for hassle-free investments in the state. A chartered accountant by profession, Agrawal shares with Aditya Vaibhav his experiences and challenges as head of the body that represents business-men and entrepreneurs. Excerpts:

- **What are your expectations from the state government?**
  Industry -friendly policies are a prerequisite for industrial growth. Which place would you as an entrepreneur prefer -a place where you have to run from pillar to post for getting things done or a place where you are welcomed by local authorities?
- **What do you suggest....?**
  Participation of technocrats and other professionals in policymaking can work wonders. You can assess the import of this suggestion by studying the example of Amul in Gujarat. Bureaucrats' role should be kept confined to administration.
- **Any major changes you observed in the state during the last ten years?**
  Law and order has improved, no doubt. Power supply scenario has also improved to a great extent in urban areas. The industrial policies effected in 2006 and 2011 did pave way for better atmosphere for industrial growth.
- **Does political instability impact trade and industries?**
  Any industrialist looks for three fundamentals before establishing an industrial unit: political stability, friendly government policies and their proper implementation. Thus political stability is a must for the sector's development. Political instability ups the number of administrative stumbling blocks in the way of industrial growth.
- **How does the Chamber view the state industries' cabinet which held its first meeting recently?**
  First, the industries' cabient did not take any decison. Second, it did not incorporate any of the BCCI's suggestions, which included midterm review of Industrial Policy, 2011, and resolution of land crunch issue.
- **Is the attitude of banks friendly for growth of entrepreneurship in the state?**
  Every time the Chamber approaches banks for financial assistance to budding entrepreneurs of the state, top officials tell us 'We would definitely help if you come up with good projects'. Now, what is the definition of good projects ? The fact is, these banks are not interested in taking risk. They would readily give car and housing loans, but would become apprehensive when one talks about opening new industrial units.
- **What would be your professional advice to budding entrepreneurs?**
  Pursue your interest passionately and give it your best. Success will follow. First-timers must be in regular touch with veterans of the segment. Anyone can contact me as and when needed.

(Source: The Times of India, 3.12.2014)

PRESIDENT'S INTERVIEW ON GOVTS' REPORT CARD

P. K. AGRAWAL

- **Age** - 66
- **Occupation :** Chartered Accountant and businessman, Bihar Chamber of Commerce and Industries President.

1. There have not been too many in the industries sector, but formation of the special industries cabinet and the private industrial area policy has been good

2. In spite of so much talk and several assurances, the single window system is still not working properly. it discourages local investments as well as that from outside Bihar. The government's decision to purchase 15 per cent of products made by local industrialists has not been implemented properly too. Besides, the mid-term review of the industrial incentive policy is pending for a long time and has not been tabled in the cabinet yet

3. No. he has not performed any better than what Nitish did

4. I would have closely monitored the functioning of the bureaucracy. There have been many instances where a policy has been announced but not implemented. I would have ensured the policies were properly executed. Also, I would have worked hard at improving the law and order situation- as it was during Nitish's tenure.

(Source: The Telegraph, 25.11.2014)

चैम्बर में 28 एवं 29 नवम्बर, 2014 को
दो दिवसीय नि:शुल्क हेल्थ चेक–अप कैम्प मेदान्ता अस्पताल, गुड़गाँव के सहयोग से आयोजित

मेदांता के सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ० ए० एन० झा को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।
साथ में डॉ० राजीव पारेख (दायें से प्रथम) एवं डॉ० ब्रजेश मिश्रा (बायें से प्रथम) तथा चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर, 2014 को दो दिवसीय नि:शुल्क हेल्थ चेक-अप कैम्प मेदान्ता अस्पताल, गुड़गाँव (प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डा० नरेश त्रेहान द्वारा स्थापित) के सहयोग से आयोजित किया गया। दोनो दिनों में मिलाकर इस कैम्प में लगभग 650 व्यक्तियों ने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाया। कैम्प में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन्टरनल मेडिसीन तथा कैंसर जैसे रोगों की जाँच एवं परामर्श दिया गया और इस क्रम में ब्लडप्रेशर, ब्लडसूगर, ईसीजी, ईको कार्डियोग्राम, मेमोग्राफी एवं चेस्ट एक्स-रे जैसी सुविधाएँ नि:शुल्क प्रदान की गई एवं दवाईयों का भी नि:शुल्क वितरण किया गया।

शिविर के प्रथम दिन सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन तथा मेदान्ता स्थित न्यूरो साइंसेज संस्थान के अध्यक्ष डा० ए० एन० झा का एक व्याख्यान भी हुआ जिसमें डा० झा ने जीवन में स्वस्थ रहने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी एवं रोगों के सही उपचार

रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन स्लिप भरते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

के संबंध में बताया। काफी लोगों ने रोगों के प्रति उनके मन में तरह-तरह की जो शंकाएं थी उसके संबंध में सीधे डॉ० झा से बात की एवं डॉ० ने उनकी शंकाओं को दूर किया। बीमारियों एवं उसके उपचार के संबंध में लोगों को सहजता से समझने के लिए पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन भी दिया गया।

इसी क्रम में मेदान्ता अस्पताल के वेसकुलर डाईवेटिक फुट केयर विभाग के डॉ० राजीव पारेख ने मधुमेह एवं उससे होने वाले विभिन्न खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी विशेषकर फुटकेयर के बारे में लोगों को समझाया तथा काफी लोगों को परामर्श भी दिया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने डा० ए० एन० झा के व्याख्यान एवं संवाददाता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चैम्बर का सदैव प्रयास रहा है कि व्यापार एवं उद्योग की समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त अपनी सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करे और इसी क्रम में यह दो दिवसीय चिकित्सा शिविर आयोजित की गयी है जिसमें मेदान्ता जैसे सुप्रसिद्ध अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएँ एवं महत्वपूर्ण जाँच काफी लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी चैम्बर इस तरह के सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सतत् प्रयत्नशील रहेगा। उन्होंने नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में सहयोग के लिए मेदान्ता की सराहना की एवं धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों को चैम्बर का प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान भी किया गया।

ब्लड प्रेशर की जाँच कराते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।
साथ में कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा

दोनों दिनों को मिलाकर मेदान्ता हॉस्पीटल के टीम के निम्न चिकित्सकों ने अपनी सेवाएँ देते हुए विभिन्न रोगों की जाँच की एवं उचित परामर्श दिया:-

डॉ० ए० एन० झा	–	चेयरमैन	– न्यूरोलॉजी
डॉ० राजीव पारेख	–	चेयरमैन	– डायबेटिक फुट एंड वासकुलर
डॉ० तनु प्रिया	–	कंसल्टेंट	– न्यूरोलॉजिस्ट
डॉ० ब्रजेश मिश्रा	–	कंसल्टेंट	– कार्डियोलॉजी
डॉ० विकास कुमार	–	कंसल्टेंट	– रेडिएशन आंकॉलॉजी

ब्लड प्रेशर एवं ब्लड सूगर की जाँच कराते एवं प्रतीक्षारत लोग।

कार्डियोलोजिस्ट डॉ० दीपक दारा मरीजों की जाँच करते हुए। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

कार्डियोलोजिस्ट डॉ० दीपक दारा मरीजों की जाँच करते हुए।
साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

मधुमेह एवं उससे संबंधित विभिन्न खतरों की जानकारी एवं बचाव का परामर्श देते डॉ० राजीव पारेख तथा चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण डॉक्टर का परामर्श सुनते।

मोबाईल क्लिनिक वैन के सामने मेमोग्राफी की प्रतीक्षा में महिलायें।

दवा वितरण केन्द्र पर दवा लेते मरीज।

संवाददाता सम्मेलन में स्वस्थ रहने के सम्बन्ध में
व्याख्यान देते मेदांता के सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ० ए० एन० झा।

संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित मेदांता के डॉक्टर, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

डॉ० दीपक दारा – कार्डियोलॉजिस्ट
डा० कृपांशु चन्द्रा – कार्डियोलॉजिस्ट
श्री राजीव मिश्रा – उपाध्यक्ष, मेदान्ता
श्री फरीद खान – उप-महाप्रबंधक – कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम

इस दो दिवसीय शिविर में चैम्बर अधयक्ष के अतिरिक्त चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महासचिव श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री साँवल राम डूलिया, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री सच्चिदानंद सहित कई सदस्य पूरी तत्परता के साथ पूरे समय सक्रिय रहे ताकि कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

Lack of rly sidings affecting trade

Senior JD(U) leader and former railway minister Nitish Kumar has sought construction of sufficient numbers of railway sidings in Bihar and adjoining region to enable placement of rakes for transportation of goods without delay.

" The acute shortage of goods siding causes inordinate delays in placement of rakes booked for destinations in Bihar from different locations outside the state and adversely affects transportation of goods," Kumar said in a letter to railway minister Suresh Prabhu.

Expressing concern over placement of rakes, the former railway minister said Bihar had been discriminated against in terms of providing rakes whereas for other destinations outside Bihar rakes were being placed within a short time.

"This delay causes acute scarcity of different commodities in the region and all sections of society suffer undue hardships, as it creates shortage of essential goods and also leads to artificial price rise, "Kumar said.

He said additional new rake siding in sufficient numbers should be provided to Bihar for placement of rakes for transporting goods." This will contribute to growth in revenue of Indian railways and also to the economic development of this region as well as the country," Kumar said.

He had also attached a letter addressed to him by the president of Bihar Chamber of Commerce, P K Agrawal, in this connection. The East Central Railway (ECR) manages the network of railway siding in larger part of the state and areas like Siwan and Chapra are controlled by North Eastern Railway while districts of Purnia, Katihar and Kishanganj are controlled by North Frontier Railway.

Cemented platform for unloading has not been constructed at Begusarai, Saharsa, Gaya, Jehanabad, Warisaliganj, Dehri-on- Sone, Motihari, Bettiah, Siwan, Purnia, Fatuha and Sarai. " This leads to handling hazard and damage of goods during handling operation. Damape of finished goods makes it unsuitable for consumption and is a national loss," Agrawal said.

The railway sidings do not have brick boundary walls for protection of goods from theft and burglary resulting in losses to operating merchants. Arrangement for security through GRP is also negligible or inadequate, which encourages anti-social elements to indulge in unlawful activities. Although working hours extend during night also, proper lighting and security facilities are not available at the sidings for smooth handing operation.

At many of the railway sidings like Danapur, Gaya, Ara, Narayanpur, suitable approach and exit routes are not available leading to congestion at railway siding and delay in rake clearance. It affects the movement of goods on rail as well as adjoining roads.

The railways has made 24 hours working mandatory at sidings like Saharsa, Siwan, Chapra and also imposed high penalty for delay in removal of goods.

But in view of lack of infrastructure facilities, such rules are draconian and result in financial as well as physical harassment for merchants. ***(Source : Hindustan Times, 3.12.2014)***

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को मिला गोल्ड मेडल

- **महिला हस्तशिल्पियों के लाइव डेमोंस्ट्रेशन को लोगों ने सराहा**
- **मेले की थीम पर आधारित था बिहार पैवेलियन।**

दिल्ली में चल रहे 34 वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार बिहार का डंका बजा। आयोजन समिति ने बिहार पैवेलियन को गोल्ड मेडल से नवाजा। दरअसल, मेले की थीम महिला उद्यमिता पर आधारित थी, जिसे बिहार पैवेलियन में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया था। मेले में बिहार के हस्तशिल्प के निर्माण लगे हस्तशिल्पियों का लाइव डेमोंस्ट्रेशन आकर्षण का केंद्र रहा। बिहार पैवेलियन की साज-सज्जा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा किया गया है। इसके फेसिया से लेकर थीम एरिया और स्टॉल सभी पर महिला उद्यम से जुड़ी झलकियाँ देखी जा सकती हैं।

खादी ग्रामोद्योग करेगा ई-कॉमर्स में प्रवेश : दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले में इस बार खादी का पंडाल सभी का ध्यान खींच रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर खादी पहनने की अपील के बाद लोगों का खादी की और रुझान बढ़ा है और अब जल्दी ही लोगों को खादी के उत्पादों को ऑनलाइन खरीदने की सुविधा मिलनेवाली है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे के समय कहा था कि देश में प्रचलित ई-कॉमर्स का फायदा खादी के उत्पादकों को भी मिलना चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का खादी ग्रामोद्योग भवन खादी उत्पादों को ऑनलाइन लाने की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 21.11.2014)**

उद्योग के लिए चार प्रमंडलों के 41 क्षेत्रों में मिलेगी जमीन

बिहार में उद्योग खोलनेवालों के लिए बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार ने चार प्रमंडलों में 14 क्षेत्रों को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित तो किया है, लेकिन जमीन की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने में सरकार सफल नहीं हो पा रही है। जमीन की सबसे अधिक कीमत पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में है। यहाँ जमीन की कीमत 1495.80 लाख रुपये प्रति एकड़ है। जमीन महंगी होने के कारण नया उद्योग खोलने के लिए कोई नहीं आ रहा। सबसे सस्ती जमीन दरभंगा में हैं। लेकिन यहाँ आवागमन व अन्य सुविधाओं की कमी है। बड़ा उद्योग लगाने के लिए डेहरी-ऑन-सोन, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, कुमारबाग और मुंगेर के जमालपुर में जमीन उपलब्ध है।

उद्योग खोलने के लिए उपलब्ध जमीन और दर (नोट : जगह एकड़ में है)

पटना प्रमंडल

क्षेत्र	खाली	बड़ी	मूल्य प्रति एकड़	क्षेत्र	खाली	बड़ी	मूल्य प्रति एकड़
औरंगाबाद	0.23	0.10	32.50 लाख	फतुहा	5.12	1.10	413.75 लाख
बरौनी	1.62	0.27	181.03 लाख	गया	0.07	0.00	79.74 लाख
बिहारशरीफ	2.03	0.03	451.83 लाख	गिद्दा	1.36	1.25	60.00 लाख
बिहिया	6.79	5.00	359.13 लाख	हाजीपुर	0.35	0.08	675.62 लाख
बिहटा	0.00	0.00	267.57 लाख	जहानाबाद	0.46	0.06	438.33 लाख
बिक्रमगंज	0.07	0.00	527.49 लाख	नवादा	1.47	0.23	112.75 लाख
बक्सर	0.07	0.09	319.50 लाख	पाटलिपुत्र	0.00	0.00	1495.80 लाख
डेहरी	9.13	6.90	186.00 लाख				

भागलपुर प्रमंडल

क्षेत्र	खाली	बड़ी	मूल्य प्रति एकड़
बरियारी	1.13	0.69	385.00 लाख
फारबिसगंज	0.59	0.31	151.88 लाख
जमालपुर	2.59	1.19	233.63 लाख
कहलगांव	0.00	0.00	36.42 लाख
कटिहार	3.03	0.26	40.00 लाख
खगड़िया	0.00	0.00	315.25 लाख
लखीसराय	0.08	0.08	93.25 लाख
मुंगेर	0.93	0.83	468.44 लाख
पूर्णिया शहर	0.33	0.33	313.34 लाख
सीताकुंड	0.00	0.00	96.10 लाख

मुजफ्फरपुर प्रमंडल

बेतिया	0.00	0.00	173.70 लाख
कुमारबाग	26.60	12.00	24.25 लाख
मुजफ्फरपुर	23.91	6.12	445.84 लाख
रामनगर	4.34	2.00	186.25 लाख
रक्सौल	0.11	0.00	250.00 लाख
सीतामढ़ी	1.43	0.12	44.50 लाख
सीवान	0.00	0.00	108.00 लाख

दरभंगा प्रमंडल

बेला	0.00	0.00	429.19 लाख
धर्मपुर	0.52	0.36	381.83 लाख
झंझारपुर	1.00	0.35	379.00 लाख
खगड़िया	0.00	0.00	32.50 लाख
मुरलीगंज	1.21	0.60	355.50 लाख
पंडौल	5.60	1.00	47.50 लाख
सहरसा	0.00	0.00	37.50 लाख
समस्तीपुर	0.23	0.13	114.75 लाख
उदाकिशुनगंज	8.52	2.45	212.50 लाख

(साभार : प्रभात खबर, 25.11.2014)

मांझी सरकार की उपलब्धियाँ

• बिजली की स्थिति में सुधार • कानून-व्यवस्था में लगातार सुधार • उद्योग कैबिनेट गठित, हुई बैठक • अफसरों को सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का टास्क • शिक्षा में अधिक बजट उपलब्ध • प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने पर सैद्धांतिक सहमति • स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा • अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कानूनी लाभ • मैट्रिक और इंटर पास एससी/ एसटी और अति पिछड़ी जातियों की लड़कियों को प्रोत्साहन राशि • दुर्गावती परियोजना की शुरुआत।

अगले एक साल का लक्ष्य : • हर गांव तक बिजली • वियतनाम, ब्रिटेन व जापान के निवेशकों को बिहार बुलायेंगे • प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे • दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति • 10 हजार सिपाहियों की नियुक्ति • इंटर और स्नातक स्तरीय 16 हजार पदों पर नियुक्ति • 3364 विवि शिक्षकों की नियुक्ति।

(साभार: प्रभात खबर, 25.11.2014)

भागलपुर के दम तोड़ते हैंडलूम उद्योग को संवारेंगे

निफ्ट पटना ने शुरू किया सिल्क और कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने का काम

• भागलपुर के कपड़ा उद्योग पर काम करेगा निफ्ट •100 करोड की है यह प्रोजेक्ट •सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में की गयी थी घोषणा।

निफ्ट पटना सेंटर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब यह सेंटर नयी जेनरेशन को फैशन उद्योग में अपना कैरियर बनाने के लिए ट्रेंड करने के साथ ही दम तोड़ते भागलपुर के कपड़ा उद्योग को नये सिरे से फिर शुरुआत करने की पहल करेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी। उसी के अंतर्गत यह काम हो रहा है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 21.11.2014)**

कंपनी अधिनियम के प्रावधान हुए सख्त

कारोबार की सहूलियत के लिए मोदी सरकार ने कंपनी विधेयक अधिनियम को कारोबार के लिहाज से आसान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। लेकिन उन कंपनियों की नकेल कसने का सख्त प्रावधान होगा, जो लोगों का पैसा अवैध तरीके से जमा कराएंगी। ऐसे लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा सकेंगे। इस अहम नियामक ढांचे में परिवर्तन की पहल से विश्व बैंक की नजर में भारत की साख बढ़ जाएगी। कारोबार करने के लिहाज से विश्व बैंक की सूची में भारत फिलहाल 142वें पायदान पर है।

कंपनी अधिनियम में प्रस्तावित 14 संशोधनों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) ने मंजूरी दी है। इनमें एक ऐसा प्रावधान भी जोड़ा गया है जिसके तहत फ्रॉड के मामलों में कंपनी के ऑडिटरों को जिम्मेदार बना दिया गया है। ऑडिटरों को ही ऊपर की धोखाधड़ी की जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। **(साभार: दैनिक जागरण, 3.12.2014)**

Clinical establishments Act faces too many roadblocks

Inordinate delay in the process of online registration of hospitals and nursing homes has hindered the enforcement of Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010, in Bihar.

The Act provides for mandatory registration of nursing homes and clinics, failing which their proprietors would be liable for punishment with fine, which may go up to Rs 5 lakh.

The legislation, which was enacted to rein in erring clinical establishments in the state, also underlines that whosoever serves in establishments, which are not registered under the act, shall be liable to a monetary penalty. which may extend up to Rs 25,000.

(Details : Hindustan Times, 3.12.2014)

टैक्स नहीं दिया तो परमिट लॉक

वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के सभी व्यापारियों को निर्देश दिया है कि वे समय पर टैक्स जमा करें। समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों की ऑनलाइन परमिट लॉक हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो विभाग उस व्यापारी के गोदाम व दुकान का निरीक्षण भी करेगा। विभाग का कहना है कि ऐसे व्यापारियों की संख्या दो हजार से अधिक है।

विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग उन व्यापारियों की भी परमिट को लॉक करने जा रहा है, जो विभाग द्वारा निर्धारित तीन शर्तों का पालन नहीं किये हैं।

एक साल बाद भी राहत नहीं : एक साल से राज्य के व्यापारियों को प्रतिदिन लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। उन्हें रोड परमिट डी 8 में छूट नहीं दी जा रही है। जबकि पिछले साल उन्हें 75 हजार तक की छूट देने की घोषणा की गयी। यही नहीं इलेक्ट्रोनिक इनवाइस सिस्टम से बिलिंग करने पर व्यापारियों को एक लाख रुपये तक की छूट देने की बात कही गयी थी।

व्यापारियों को निर्देश : • व्यापारियों को समय पर टैक्स जमा करने का दिया गया निर्देश • व्यापरियों के सामने रखी तीन शर्त, पूरी नहीं करने पर कार्रवाई।

क्या है शर्त : • पिछले रिटर्न में दिखाए गए खरीद व उस दौरान इस्तेमाल की गई परमिट का मिलान सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ तो व्यापारियों को एक अलग से ऑनलाइन फार्म भरना होगा, उसके बाद ही परमिट जारी की जाएगी • व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर (एडमिटेड टैक्स) का भुगतान नहीं किया गया है, तो भी ऑनलाइन परमिट स्वत: बंद हो जाएगी • व्यापारी द्वारा हर महीने दिए जाने वाले टैक्स का ढाई-तीन गुना बकाया हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी ऑनलाइन परमिट स्वत: बंद हो जाएगी।

क्या-क्या सुविधा मिलेगी व्यापारियों को : • नए सॉफ्टवेयर से छोटे व्यापारियों को फायदा होगा • दुकानदार जब चाहे नेट से बिलिंग कर सकते हैं • मोबाइल से भी कर सकते हैं काम, नहीं लगेगा कोई शुल्क • बिलिंग करते ही अपने आप रोड परमिट डी-8 जेनरेट हो जाएगा • इसमें डाटा गायब होने का कोई डर नहीं है • साफ्टवेयर का इस्तमाल करने वाले व्यापारियों को कोई खतरा नहीं है • कम्प्यूटर के एक क्लिक से रिटर्न फाइल हो जाएगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 1.12.2014)**

न्यूनतम से कम बैलेंस होने पर सूचित करें बैंक

रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे किसी ग्राहक के खाते में बैलेंस न्यूनतम से नीचे आने पर उसे अग्रिम में सूचित करें।

रिजर्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि यदि उचित समय में खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं आता है तो खाताधारक को सूचित करने के बाद जुर्माना लगाया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस तरह के खातों में न्यूनतम बैलेंस में आई कमी के अनुरूप ही जुर्माना लगाएं।

न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर मौद्रिक जुर्माना लगाने संबंधी दिशानिर्देश एक अप्रैल, 2015 को अस्तित्व में आ जाएंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अधिसूचना में कहा है, "यह फैसला किया गया है कि बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने की स्थिति बैंक इन अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।"

विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना उसी अनुपात में लगाया जा सकता है, खाते में न्यूनतम बैलेंस में जितनी कमी आई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना खाते में मौजूद राशि व न्यूनतम बैलेंसे के बीच अंतर के फीसद के आधार पर लगाया जाना चाहिए। इसके लिए एक उचित स्लैब ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम की जमा रहने पर बैंक को ग्राहक को एसएमएस, ईमेल या पत्र के जरिए सूचित करना चाहिए और उन्हें बैलेंस को उचित स्तर पर लाने के लिए एक माह का समय देना चाहिए, जिससे उन पर जुर्माना न लगे।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 21.11.2014)

rajanomics : fix prices, rest will follow

LENDING RATES : *8% The repo rate-the key lending rate at which bank borrow from the central bank*

RATE CUT IN EARLY 2015 : • *RBI may cut interest rates early next year if inflation remains low and stable* • *Announcement on interest rate cut may come outside the scheduled policy reviews* • *The next policy review is on February 3,2015* • *Analysts said RBI will likely cut rates after the union budget in February*

INFLATION FALLING. BUT WILL TREND HOLD?

- *1.77% India's wholesale price inflation in October, the lowest in 5 years*
- *5.52% India's retail inflation in October, lowest in 3 years.*
- *6% RBI's forecast for inflation in March 2015, down from 8% :*
  - *Inflation is expected to hover around 6% over the next 12 months*
  - *November is expected to show a further softening* - *But inflation for December may well rise above current levels.*

RECOVERY SEEN : • *5.5% RBI's estimates of India GDP growth in 2014-15* • *Recovery depends on faster revival of stalled infra projects* • *This should brighten outlook for both industry and services* • *Policy push needed for financing investment.*

FISCAL WORRIES : *• Rise investment is critical for a sustained pick-up in over all economic activity • Fiscal outlook should brighten due to the fall in crude prices • But weak tax revenue growth and the slow disinvestment pace could up set fiscal plans.*

"Hopefully, the performance of financial assets will convince more people to put their money in those assets than jewellery."
— Raghuram Rajan, *RBI Governor*

(Hindustan Times, 3.12.2014)

बिजली दर बढ़ाने पर प्रमंडलवार सुनवाई

बिजली दर में 21 फीसदी वृद्धि के प्रस्ताव पर विनियामक आयोग प्रमंडलवार जनसुनवाई करेगा। पटना सहित राज्य के तमाम प्रमंडलों में होने वाली जनसुनवाई की तिथि तय कर दी गई है। इसमें आम लोगों के अलावा गैर सरकारी व व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी अपना विचार रख सकेंगे । 17 दिसंबर से शुरू होने वाली जन सुनवाई तीन फरवरी 2015 को समाप्त होगी। पटना में विनियामक आयोग के कार्यालय में लोग अपनी बात रख सकेंगे।

टैरिफ का प्रस्ताव

खेती

	अभी	प्रस्ताव
ग्रामीण	रु० 120	रु० 138/एचपी
शहरी	रु० 160	रु० 184/एचपी

ग्रामीण इलाका (घरेलू)

यूनिट	अभी	प्रस्ताव
0-50	रु० 2.00	रु० 2.30/यूनिट
51-100	रु० 2.30	रु० 2.65/यूनिट
100 से ऊपर	रु० 2.70	रु० 3.11/यूनिट

शहरी क्षेत्र (घरेलू)

यूनिट	अभी	प्रस्ताव
1-100	रु० 2.85	रु० 3.42/यूनिट
101-200	रु० 3.50	रु० 4.20/यूनिट
201-300	रु० 4.20	रु० 5.04/यूनिट
300 से अधिक	रु० 5.30	रु० 6.36/यूनिट

तिथि तय : • **गया :** 17 दिसंबर (डीएम कॉन्फ्रेंस हॉल) • **मुजफ्फरपुर :** 19 दिसंबर (डीएम कॉन्फ्रेंस) • **मुंगेर :** 06 जनवरी (कमिश्नर कार्यालय) • **भागलपुर :** 07 जनवरी (कमिश्नर कार्यालय) • **छपरा :** 12 जनवरी (डीएम कॉन्फ्रेंस हॉल) • **दरभंगा :** 19 जनवरी (कमिश्नर कार्यालय) • **सहरसा :** 20 जनवरी (डीएम कॉन्फ्रेंस हॉल) • **पूर्णिया :** 21 जनवरी (डीआरडीए एनेक्सी) • **पटना :** 2-3 फरवरी (विनियामक आयोग)

पटना : 18/12 को ट्रांसमिशन व जेनरेशन की सुनवाई।

• 52 लाख उपभोक्ता • 2800 मेगावाट सप्लाई • 40-42 लाख बिलिंग

किस वर्ष कितना बढ़ा है बिल		
2010-11	:	19 प्रतिशत
2011-12	:	12.1 प्रतिशत
2012-13	:	6.9 प्रतिशत
2013-14	:	वृद्धि नहीं
2014-15	:	वृद्धि नहीं
2015-16	:	मंथन शुरू

राज्यवार प्रति यूनिट बिजली दर

राज्य	न्यूनतम	अधिकतम
बिहार	2.00	5.30
झारखंड	2.40	3.00
ओडिशा	2.30	5.40
उत्तर प्रदेश	4.00	5.00
प. बंगाल	4.46	8.10

(साभार: हिन्दुस्तान, 1.12.2014)

बिजली बिल समय पर जमा किया तो मिलेगी छूट

समय पर बिजली बिल जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिजली बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर अगर बिल जमा करते हैं तो प्रति यूनिट एक पैसे की छूट मिलेगी। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को यह प्रस्ताव दिया है। आयोग की हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.12.2014)

बरौनी थर्मल मार्च से पहले शुरू होगा!

बरौनी थर्मल पावर प्लांट के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल के हालिया बिहार दौर के बाद इस प्लांट के काम में तेजी आई है। उम्मीद है कि मार्च 2015 के पहले बरौनी यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो जाए।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 26.11.2014)

एचटी उपभोक्ताओं को मिलेगी पर्याप्त बिजली

हाई टेंशन उपभोक्ताओं को विद्युत कंपनियां निर्बाध एवं गुणवत्तायुक्त बिजली देंगी। शिकायत मिलने के तत्काल बाद समस्याओं को भी समाधान करेंगी। यह निर्देश बिहार स्टेट पावर हेल्डिंग कंपनी के सीएमडी सह ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत ने दी।

(विस्तृत: दैनिक जागरण, 26.11.2014)

पावर बैंकिंग प्रदेशों में बिहार भी शामिल

पैसे की तरह बैंक में अब बिजली भी रखी जाएगी। अगर उपयोग से अधिक बिजली बच जाएगी तो उसे रखा जाएगा। जरूरत के समय उस बिजली का उपयोग होगा। देश के चंद राज्यों की तरह बिहार में भी पावर बैंकिंग की कवायद शुरू हो रही है।

अभी क्या : वैसे तो 15 नवम्बर के पहले बिहार के पास जरूरत से भी कम बिजली थी। लेकिन, अब वैसी स्थिति आ रही है कि मिल रही पूरी बिजली का बिहार उपयोग नहीं कर पाएगा।

खासकर वैसी स्थिति में जब तक राज्य के सभी गांवों में बिजली न पहुंच जाए। केंद्रीय सेक्टर 2820 मेगावाट, कांटी से 200 मेगावाट और जीएमआर कमलांगा 260 मेगावाट बिजली मिले तो लगभग 3300 मेगावाट बिजली हो जाएगी। उपयोग से अधिक बिजली को सरेंडर करने पर बिजली प्लांट के स्थापना मद की राशि देनी पड़ती है। बिजली बेची जाए तो खरीदी गई दर से भी कम दर मिलेगी, जो नुकसान का सौदा हो सकता है।

कवायद : • कम खपत होने पर दूसरे राज्यों को दी जा सकेगी बिजली • अधिक खपत होने पर करार वाले राज्यों से ली जाएगी बिजली • अधिक बिजली होने पर सरेंडर या बिजली बेचने की होती है मजबूरी।

क्या है पावर बैंकिंग : बिजली की कम व अधिक खपत वाले राज्य आपसी करार करते हैं। जरूरत के अनुसार राज्य आपस में बिजली का लेन-देन करते हैं।

यहाँ चल रही है पावर बैंकिंग : पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा व मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में पावर बैंकिंग है।

होगी सुविधा : पावर बैंकिंग के तहत बिहार उन राज्यों को बिजली दे सकता है, जहाँ इसकी अभी जरूरत है। गर्मी के दिनों में जब बिहार को जरूरत होगी तो उस राज्य से बिजली ली जाएगी। मांग अधिक होने पर बिजली की खरीदारी में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पावर बैंकिंग में बिजली के लेन-देन से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

दैनिक स्थिति : • 2500 से 3500 मेगावाट की लगभग है आवश्यकता • 2810 मेगावाट क्रेंदीय कोटा से मिलती है बिजली • 260 मेगावट कमलांगा प्लांट, ओडिशा से मिलती है • 220 मेगावाट कांटी थर्मल से मिलती है बिजली • 400 से 900 मेगवाट होती है बिजली की खरीद • 2300 से 2800 मेगावाट औसतन उपलब्धता।

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.11.2014)

बिजली प्रोजेक्ट : जमीन देने वाले बनेंगे पार्टनर

प्रस्ताव : किसानों को मुनाफे में मिलेगी हिस्सेदारी, ऊर्जा मंत्रालय की परामर्श दातृ समिति का सुझाव, मंत्री गोयल ने जताई सहमति

सब कुछ ठीक रहा तो बिजली परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की परेशानी खत्म हो जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पास एक सुझाव आया है। इस पर अमल हुआ तो परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को इसमें पार्टनर बनाया जाएगा।

बिहार के हिस्से आ सकती हैं नई परियोजनाएं : बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि 2022 तक देश में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों से एक लाख मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। कोशिश यह होनी चाहिए कि यह लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाए। सूत्रों ने बताया कि अपरंपरागत ऊर्जा के मामले में बिजली के मोर्चे पर पिछड़े बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में

पनबिजली परियोजनाओं की बेहतर संभावना है। कुछ अन्य राज्यों की तरह इन दोनों राज्यों में किसी नई परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में परेशानी होती है। कुछ परियोजनाएं तो पूरी हो जाती हैं, फिर भी जमीन का मसला हल नहीं होता है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 20.11.2014)

ढाई कट्ठे तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर

• बिल्डिंग बायलॉज मंजूर : 6.32 कट्ठे से कम जमीन पर अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। • सभी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

राज्य में अब 300 वर्ग मीटर यानी करीब ढाई कट्ठे (2.37 कट्ठे) तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं 800 वर्ग मीटर यानी 6.32 कट्ठे से कम जमीन पर बहुमंजिली इमारत या अपार्टमेंट का निर्माण नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में बिहार भवन उपविधि 2014 (बिल्डिंग बायलॉज) को मंजूरी मिल गई। इसके तहत छोटे प्लॉट पर निजी मकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। नए प्रावधान नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र पर समान रूप से लागू होंगे। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव बी. प्रधान ने बताया कि जमीन के आकार और सड़क की चौड़ाई को आधार बना कर भवन निर्माण के मानक तय किए गए हैं।

खास प्रावधान : • गंगा के तटबंध से 200 मीटर पहले और अन्य नदियों के तटबंध से 100 मीटर पहले तक कोई निर्माण नहीं होगा • नए बनने वाले सभी भवनों का भूकंपरोधी होना और सभी भवनों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य • मकान का नक्शा पास करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा • नदी के किनारे विरासत भवन (हेरिटेज) की मरम्मत के अलावा कोई अन्य निर्माण नहीं • पंद्रह मीटर से अधिक ऊंचे भवन के निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी • आईटी और आईटीईएस भवनों के लिए अलग से सेटबैक प्रावधान।

पार्किंग : बहुमंजिली इमारत में जमीन का 25% इलाका पार्किंग के लिए आरक्षित करना होगा। पार्किंग क्षेत्र का 15% अतिथियों और एंबुलेंस के लिए होगा।

पर्यावरण : साधारण भवन की पूरी जमीन का 5 प्रतिशत और बहुमंजिली इमारत के मामले में कुल भूमि के 10% हिस्से को पड़े-पौधे से कवर करना होगा।

नई टाउनशिप : अब 30 मीटर से कम चौड़ाई की सड़क और पांच हेक्टेयर से कम जमीन पर टाउनशिप का निर्माण नहीं हो सकता है।

"नए बायलॉज से बिहार के विकास का रास्ता साफ हो गया है। निर्माण इंडस्ट्री फिर आगे बढ़ेगी। बायलॉज नहीं होने से बिल्डिंग के निर्माण पर रोक लगी थी।"
– **अनिल कुमार,** अध्यक्ष, नेशनल बिल्डर्स एसोसिएशन

सड़क (चौड़ाई)	इमारत (ऊंचाई)	श्रेणी	एफएआर
12 फीट से कम	7 मीटर	जी प्लस वन	1.2 मीटर
12 फीट	10 मीटर	जी प्लस टू	1.5 मीटर
20 फीट	12 मीटर	जी प्लस थ्री	2.0 मीटर
30 फीट	18 मीटर	जी प्लस फाईव	2.5 मीटर
40 फीट	24 मीटर	--	2.5 मीटर

नए इलाकों के लिए ये प्रावधान

सड़क (चौड़ाई)	इमारत (ऊंचाई)	श्रेणी	एफएआर
20 फीट	12 मीटर	जी प्लस थ्री	2.0 मीटर
30 फीट	18 मीटर	जी प्लस फाईव	2.5 मीटर
40 फीट	24 मीटर	--	2.5 मीटर
60 फीट	सीमा नहीं	--	2.5 मीटर
80 फीट	सीमा नहीं	--	3.0 मीटर
90 फीट	सीमा नहीं	--	3.2 मीटर
100 फीट	सीमा नहीं	--	3.5 मीटर

अन्य फैसले • पाटलिपुत्र स्टेशन पर बनेगा रेल थाना • नालंदा ओपेन विश्व-विद्यालय के लिए 17 पदों को मंजूरी

(साभार : दैनिक भास्कर, 3.12.2014)

पटना हजार करोड से बन सकता है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी

यदि एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएं तो पटना वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने की दौड़ में शामिल हो जाएगा। पटना का इतिहास काफी पुराना है, यदि यहाँ की धरोहरों को विकसित किया जाए तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा जरूर मिलेगा। इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटज सिटी का दर्जा पाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने तो दिल्ली को यह दर्जा दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साईंटिफिक एंड कल्चरल आर्गनाइजेशन (यूनेस्को) को प्रस्ताव भी भेज दिया है। यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा देता है। पटना का इतिहास दिल्ली से भी पुराना है इसलिए यह शहर इस दर्जा को पाने का हक रखता है।

• पटना का इतिहास दिल्ली से भी पुराना • मौर्यकालीन शासन का इतिहास जुड़ा हुआ है • सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था • पटना हेरिटेज साइट्स के लिए मोनो रेल की व्यवस्था करनी होगी • 200 करोड़ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पर • 200 करोड़ पहुंच पथ, लाइटिंग व सड़क निर्माण पर • 400 करोड़ ट्रैफिक व्यवस्था पर • 200 कराड़े हेरिटेज स्थल विकसित करने में।

विशेषज्ञों ने दी सलाह :

• पटना विवि की पूर्व प्रोफेसर भारती एस कुमार ने कहा कि पटना के मौर्यकालीन इतिहास का विशेष महत्व है। मौर्य शासन का राजपाट का काम पटना से ही होता था। उन्होंने पटना कॉलेज, व्हीलर सीनेट हॉल और गवर्नमेंट प्रेस गुलजार बाग की चर्चा की। गवर्नमेंट प्रेस के बारे में बताया कि यह अफीम का गोदाम हुआ करता था।

• एनआईटी के प्रो. मजहरुल हक ने मुगल काल का वर्णन करते हुए कहा कि पत्थर की मस्जिद, एनआईटी भवन, गुलजारबाग इसी काल में बने हैं।

• प्रो. नैंसी ने पटना कॉलेज को हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि पटना कॉलेज के भवन की मरम्मत कराई जाए। आसपास गाईन व रोड बने, साइन बोडे लगे और लाइटिंग की व्यवस्था की जाए।

• प्रो. रवीश कुमार ने जैन धर्म के बारे में बताते हुए पटना सिटी स्थित जैन मंदिर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पटना के जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, उसे विकसित करना होगा। पटना के लिए हेरिटेज प्लान बनाना होगा। इसमें पुराने शहर के लिए हेरिटेज शहर बनाना होगा, जो नए शहर के प्लान से बिल्कुल अलग होगा।

पहल : • एनआईटी, पटना के विशेषज्ञों ने तैयार किया प्रस्ताव, भेजेंगे सरकार को • दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की दौड़ में हैं शामिल • पुराने पटना के लिए हेरिटेज शहर बनाना होगा जो नए प्लान से अलग होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.11.2014)

बैट्रीचालित रिक्शे का कराना होगा निबंधन

• रोड टैक्स में मिलेगी 50 फीसदी छूट • ड्राइवर को लेना होगा कॉमर्शियल लाइसेंस

कॉमर्शियल वाहनों की तरह अब बैटरी से चालित इ-रिक्शा का भी निबंधन होगा। सड़क पर चलने के लिए उसे परमिट की आवश्यकता होगी, इ-रिक्शा चलाने वालों को कॉमर्शियल लाइसेंस रखना होगा। 15 साल के लिए लिये जाने वाले रोड टैक्स में उसे 50 फीसदी की छूट मिलेगी। अर्थात इ-रिक्शा की वैट छोड़ कर कुल कीमत का सात प्रतिशत के हिसाब से कुल राशि का आधा लगेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 25.11.2014)

डेढ़ साल में शहर के कचरे से बनने लगेगी बिजली

कवायद : सात साल से चल रही थी कवायद, ठोस कचरा प्रबंधन का काम शुरू

राजधानी की सडकों को गंदगी, ट्रैफिक जाम और अंधेर से मुक्त कराने के लिए वर्षों से लंबित तीन महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू हुआ। सात साल की मशक्कत के बाद आखिरकार राजधानी से निकलने वाले 700 टन कचरे के निपटारे और इससे बिजली तैयार करने की योजना पर काम शुरू हुआ। इसके साथ ही सड़कों को रौशन करने के लिए राजधानी में 1000 एलईडी लाइटें लगाने और विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना भी शुरू हुई। नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के सभागार में इन योजनाओं की शुरुआत की।

इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड पर बनने वाले बिजली

घर का निर्माण डेढ़ साल में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से आठ से दस मेगावाट बिजली तैयार होगी। वैज्ञानिक ढंग से कचरे का निपटारा किया जाएगा इस परियोजना पर 249 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इस योजना में पटना के अलावा फुलवारीशरीफ, खगौल, दानापुर और फतुहा के शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए पटना ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एसपीवी का गठन किया गया है।

प्रतिदिन 700 टन कचरे का होगा निपटारा : सरकार ने रामपुर बैरिया में 75 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। इस योजना के तहत प्रतिदिन 700 टन कचरे का निपटारा होगा। कंपनी को टिपिंग शुल्क के रूप में प्रति टन 333 रुपए दिया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन सुनील हाइटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, मुंबई और फ्रांस की कंपनी आईकेओएस एनवायरमेंट को सौंपी गई है।

जगमग होंगी सड़कें : सड़कों को रौशन करने के लिए 1000 एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। सम्राट चौधरी ने इस योजना का शुभारंभ किया। प्रमुख चौराहों को पुराना लुक देने के लिए राजशाही लाइटें लगाई जाएंगी। अगले साल 31 मार्च तक इस योजना पर काम पूरा हो जाएगा। इसपर 3.85 रुपए खर्च होंगे।

(साभार: दैनिक भास्कर, 25.11.2014)

श्रम कानूनों पर सरकार ने शुरू की अंतरमंत्रालय चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार संसद के मौजूदा शीत-कालीन सत्र में श्रमिक कानूनों में संशोधनों को लेकर फिलहाल कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कुछ कानूनों में संशोधन करने हेतु चार अंतर-मंत्रालय समूह का गठन किया है। इन कानूनों में अनुबंध श्रम अधिनियम, छोटा कारखाना अधिनियम, अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को शामिल किया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस शीत सत्र में इन कानूनों में कोई संशोधन होना फिलहाल संभव नहीं है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 25.11.2014)**

EPFO as Registrar to Enrol its Members in Aadhaar Scheme

The Unique Identification Authority of India has roped in the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) for the enrolment of its 8.5 crore ... embers as it prepares to meet the target of generating Aadhaar-for all by March 2015. The need for involving the EPFO as a registrar was felt after an internal review by the retirement fund organisation showed that barely 10% of the EPF members under the universal account number (UAN) programme were seeded with Aadhaar, the unique identification number being issued by UIDAI.

(Details : Economic Times, New Delhi, 29.11.2014)

कम दूरी की ट्रेनों से हट सकते हैं स्लीपर कोच

इंडियन रेलवे जल्द ही ट्रेन सीटों में बदलाव कर सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कम दूरी की ट्रेनों में स्लीपर क्लास को रिजर्व चेयर कार में बदलने के साथ ही छोटे रूटों पर ज्यादा से ज्यादा डबल डेकर ट्रेन चलाने का विचार रखा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेश प्रभु चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड 10 घंटे से कम के सफर में ज्यादा यात्रियों को जगह देने के लिए बिना एसी वाले स्लीपर कोचों को चेयर कार में बदल दिया जाए, बोर्ड रेल मंत्री के प्रस्ताव पर फिलहाल विचार कर रहा है। सभी जोनों से आंकड़े मंगाए गए हैं, ताकि उस पर सोच-विचार के बाद बोर्ड और रेल मंत्री किसी नतीजे पर पहुंच सके। सूत्रों की मानें तो दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-जम्मू, दिल्ली-लखनऊ, दिल्ली-वाराणसी जैसे रूटों पर रेल मंत्री की योजना को अमल किया जा सकता है, इससे रेलवे की यात्रियों को ले जाने की क्षमता में जबर्दस्त इजाफा होगा। आमतौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटिंग चेयर कार की बोगियां नहीं लगाई जाती है। इसके अलावे रेलवे ने प्राइवेट भागीदारी में पार्सल ट्रेन चलाने के लिए एक नई पॉलिसी भी तैयार की है। **(साभार : आई नेक्स्ट, 21.11.2014)**

रेलवे स्टेशनों को गोद ले सकते हैं अधिकारी : प्रभु

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इस सार्वजनिक परिवहन के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वो एक-एक स्टेशन को गोद ले सकते हैं। प्रभु के इस सुझाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तौरपर देखा जा रहा है। प्रभु ने टिप्पणी की 'रेलवे में स्वच्छता किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने प्लेटफार्म पर खाद्य सामग्री पकाने पर रोक लगाने और भोजनालयों सहित व्यवसायिक स्टॉलों को प्लेटफार्म से हटाने की भी वकालत की। योजना के मुताबिक करीब 700 स्टेशनों की पहचान की गयी है, जिन्हें अगले महीने से साफ-सफाई के लिए अधिकारी गोद लेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजे एक नोट में प्रभु ने कहा है, 'रेलवे में साफ-सफाई किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। **(विस्तृत : आज, 25.11.2014)**

बीमा पॉलिसी का प्रीमियम देकर निश्चिंत न बैठें

बीमा कंपनी के कार्यालय से लें जानकारी

बीमा पॉलिसी का प्रीमियम देकर निश्चिंत न बैठें। कागज मिलने पर इसकी जांच भी कर लें कि आपने जो पैसा अपने एजेंट को दिया है, वह कंपनी के पास जमा हुआ है या नहीं। एजेंट ने जो कागज आपको दिया है, वह कागज लेकर आप संबंधित कंपनी के कार्यालय में जा सकते हैं, वहाँ आपको इसकी जानकारी दी जायेगी। एजेंट कागज न दें, तो इसकी लिखित शिकायत करें।

कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करें : आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको पॉलिसी नंबर, प्रीमियम राशि और जन्मतिथि देकर कंपनी के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी।

टॉल फ्री नंबर पर भी ले सकते हैं जानकारी : आप कंपनी के टॉल फ्री नंबर पर फोन कर भी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए कंपनियों ने नंबर जारी किया है।

• **एलआइसी:** 1800224077 • **एसबीआइ लाइफ :** 1800229090 • **कोटक लाइफ :** 1800228081 • **आइसीआइसीआइ प्रूडेंसियल लाइफ:** 18602667766 • **बजाज एलियांज :** 18002337272 • **भारती एक्सा लाइफ :** 18001024444 • **एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ :** 18602679999

(साभार : प्रभात खबर, 12.11.2014)

बिहार में मंहगी हुई विदेशी शराब

विदेशी शराब के शौकीनों को सरकार ने झटका दिया है। शराब की कीमतों में इजाफा किया गया है। बिहार में विदेशी शराब के कई ब्रांड 5 से 7 प्रतिशत के करीब महंगे हो गए हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को मंजूरी दे दी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.12.2014)**

निवेश के लिए यूटीआई की नयी योजना

यूटीआई म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक नयी योजना यूटीआई फोकस्ड इक्विटी फंड सिरिज दो ला रहा है। इसकी शुरूआत ने 4 दिसम्बर से होगी और यह 1102 दिनों का होगा। स्कीम 4 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक चलेगा।

(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 23.11.2014)

गेल करेगी पटना में गैस वितरण

बिहार सरकार ने पटना में सिटी गैस वितरण की जिम्मेदारी बिना किसी बोली के गैस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) को सौंपने का फैसला लिया है। इसके तहत कंपनी पटना में पाइप के जरिये रसोई गैस और वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी की आपूर्ति करेगी। इसके लिए गेल प्रस्तावित जगदीशपुर-हल्दिया पाइपलाइन का इस्तेमाल करेगी। **(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 3.12.2014)**

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296